बाल संरक्षण अधिनियम 2004 (Care of Children Act 2004) की भूमिका

भूमिका

बाल संरक्षण अधिनियम 2004 एक जुलाई 2005 से लागू हुआ था। यह अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1968 का स्थान ग्रहण करता है।

इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित कानूनों में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं जो -

- बच्चों की अभिभावकता
- बच्चों की देखभाल का प्रवन्ध, तथा
- बच्चों की देखभाल के प्रवन्धों के बारे में होने वाले विवादों के समाधान

से सम्बन्धित हैं।

यह अधिनियम कानून को बच्चों के प्रति माता-पिता की जिम्मेदारियों से अधिक संगत बनाता है।

यह अधिनियम इस बात को भी मान्यता देता है कि आजकल न्यूज़ीलैंड में बच्चों का पालन-पोषण अनेक प्रकार के पारिवारिक प्रवन्धों के अन्तर्गत किया जाता है।

इस अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण

यह अधिनियम -

- बच्चों के अधिकारों पर अधिक जोर देता है
- सहयोगी मातृ-पितृत्व (पेरेन्टिंग) को प्रोत्साहित करता है
- बच्चों के पालन-पोषण के अनेक प्रकार के वर्तमान पारिवारिक प्रवन्धों को मान्यता देता है
- फैमिली कोर्ट (**Family Court**) की प्रणालियों में अधिक खुलापन/स्पष्टता प्रदान करता है
- कोर्ट के आदेशों के उल्लंघनों से निवटने के लिए कोर्ट को अधिक विकल्प प्रदान करता है।

बाल संरक्षण अधिनियम बच्चों के कल्याण और उनके सर्वाधिक हितों का प्रचार करता है।

बच्चों के अधिकारों पर अधिक महत्त्व

बाल संरक्षण अधिनियम 2004 के अन्तर्गत **बच्चों के कल्याण** को सबसे महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है। यह अधिनियम इस बात पर भी ध्यान देता है कि उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों के बारे में बच्चों से परामर्श करना जरूरी है, तथा बच्चों को प्रभावित करने वाले निर्णयों को बच्चों की समझदारी के अनुरूप उपयुक्त समय के दौरान लिया जाना जरूरी है।

इस अधिनियम में माता-पिता के **अधिकारों** की बजाय बच्चों के प्रति माता-पिता की **जिम्मेदारियों** पर अधिक महत्त्व दिया गया है।

बच्चा सबसे प्रमुख (महत्त्वपूर्ण) है

यह नया अधिनियम इस बात पर जोर देता है कि बच्चों के बारे में होने वाले किसी भी विवाद में **बच्चे का कल्याण तथा उसकी भलाई**प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है।

इसमें ऐसे कुछ मुख्य तत्वों को निश्चित किया गया है जिनका बच्चों की भलाई को निश्चित करते समय कोर्ट द्वारा ध्यान में रखना जरूरी है -

- बच्चे के संरक्षण/देख-रेख, विकास और पालन-पोषण के प्रबन्ध करने की मुख्य जिम्मेदारी उनके माता-पिता और अभिभावकों की है।
- बच्चे के संरक्षण/देख-रेख, विकास और पालन-पोषण के प्रबन्धों में निरंतरता या नियमितता होना जरूरी है।
- बच्चों और उनके संयुक्त परिवार के बीच सम्बन्धों को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना जरूरी है।
- माता-पिता, अभिभावकों और उनकी देख-रेख में भागीदार अन्य लोगों के बीच आपसी सहयोग होना जरूरी है
- बच्चों को सुरक्षित रखना तथा उनका सभी प्रकार की हिंसा से बचाव रखना आवश्यक है, तथा
- उनकी संस्कृति, भाषा तथा धर्म सहित बच्चों की पहचान को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना जरूरी है

बच्चे की सुनवाई करना

इस अधिनियम के अन्तर्गत फैमिली कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णयों का बच्चे के दैनिक जीवन और माता-पिता के साथ उनके दीर्घ-कालीन सम्बन्धों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह नया अधिनियम फैमिली कोर्ट की कार्यवाही में सम्मिलित बच्चों को, क्या होना चाहिए - जैसे कि वे किसके साथ रहें या निवास करें इस बारे में उनके विचार व्यक्त करने का उपयुक्त अवसर दिए जाने की जरूरत को मजबूत बनाता है। न्यायाधीश या जज द्वारा निर्णय लेते समय बच्चे के विचारों को ध्यान में रखना जरूरी है।

बच्चे के लिए वकील

नए अधिनियम के अन्तर्गत, बच्चों को प्रभावित करने वाले विवाद के कोर्ट में सुनवाई के लिए जाने की संभावना होने पर फैमिली कोर्ट द्वारा बच्चे के आधार पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र वकील को निर्धारित किया जाना जारी रहेगा।

वकील का काम है कि -

- कोर्ट की प्रक्रिया और उनके माता-पिता के मध्य होने वाली समझौते की किसी बात-चीत के दौरान बच्चे का प्रतिनिधित्व करना
- बच्चे के विचारों को जानना और न्यायाधीश को उनसे अवगत कराना
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चे के हितों और कल्याण को प्रभावित करने वाले सभी विषयों को कोर्ट के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया जाए
- बच्चे को कोर्ट की प्रक्रिया से अवगत कराना तथा इस प्रक्रिया के अन्त में न्यायाधीश के निर्णय को स्पष्ट करना

अधिक जानकारी के लिए, **Lawyer for the Child** (बच्चे लिए वकील) नामक पुस्तिका को देखें।

उन्हें प्रभावित करने वाले फैमिली कोर्ट के निर्णयों के बारे में बच्चे अपील कर सकते हैं

यह अधिनियम बच्चों को इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्रभावित किए जाने वाले निर्णयों - जैसे कि parenting orders (बच्चों के पालन-पोषण से सम्बन्धित आदेश) के विरूद्ध अपील करने का अधिकार देता है।

बच्चे का वकील उसे उसके अपील करने के अधिकार को स्पष्ट करेगा/करेगी। यदि बच्चा अपील करना चाहता है तो वकील उसकी अपील दर्ज करने में मदद करेगा/करेगी।

बच्चे माता-पिता और अभिभावकों के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं

यदि कोई **16** साल या इससे अधिक आयु का बच्चा अपने बारे में माता-पिता या अभिभावकों द्वारा लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय से अप्रसन्न है, तो वह बच्चा फैमिली कोर्ट से उस विषय पर निर्णय लेने के लिए अनुरोध कर सकता/सकती है।

अभिभावकता [बच्चे की] आयु 18 साल होने पर समाप्त हो जाती है

बच्चे की अभिभावकता समाप्ति की आयु **18** वर्ष है (पहले यह **20** वर्ष हुआ करती थी)। अभिभावकता उस अवस्था में भी समाप्त हो जाएगी जबकि **16** या **17** साल का बच्चा विवाह कर लेता/लेती है, civil union (कानूनी अनुवन्ध के आधार पर बिना विवाह किए एक साथ रहने का निश्चय कर लेता है या नागरिक संयोग) में सम्मिलित होता/होती है या डि-फैक्टो (वस्तुतः) सम्बन्ध आरंभ करता/करती है (ऐसी किसी भी अवस्था में उनके लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति लेना जरूरी है)।

18 साल की आयु बाल-अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ संविधान के अन्तर्गत न्यूज़ीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व से संगत है।

सहयोगी मातृ-पितृत्त्व (पेरेन्टिंग) को प्रोत्साहन देना

"अधिकारों" से "उत्तरदायित्व" की ओर

यह नया अधिनियम बच्चों के प्रति माता और पिता के रूप में उनके **अधिकारों** की अपेक्षा उनके **उत्तरदायित्वों** पर अधिक जोर देता है।

इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए शब्द इस परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। यह अधिनियम माता-पिता को बच्चों के **संरक्षण या अभिरक्षण** के स्थान पर उनकी **नित्यप्रति या दिन-ब-दिन देखभाल** की जिम्मेदारी प्रदान करता है। माता और पिता दोनों नित्यप्रति देखभाल की जिम्मेदारी को आपस में बांट सकते हैं, समय को इस प्रकार से बांट सकते हैं जो बच्चों और परिवार की परिस्थितियों के लिए सबसे उचित है।

यदि माता या पिता में से जो भी नित्यप्रति बच्चों की देखभाल नहीं करता, उन्हें बच्चों के साथ **सम्पर्क** बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे पहले **एक्सेस** या **अभिगम्यता** कहा जाता था।

इस अधिनियम ने संरक्षण या हिरासत आदेशों और अभिगम्यता आदेशों को हटा कर उन्हें "**parenting orders**" (मातृ-पितृत्व आदेशों) में बदल दिया है।

मातृ-पितृत्व - एक लगातार जारी रहने वाली भूमिका या जिम्मेदारी

यह अधिनियम इस बात पर भी जोर देता है कि माता-पिता का उत्तरदायित्व (लगातार जारी रहने वाला) जीवनभर का है। जब माता-पिता का आपस में सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है तो दोनों के लिए बच्चों के पालन-पोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना जरूरी है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक बच्चों के पास नहीं रहता हो।

माता-पिता को अपने बच्चों के संरक्षण के प्रबन्धों को स्वयं ही करने के लिए प्रोत्साहित करना

यह अधिनियम माता-पिता को बच्चों के संरक्षण के प्रबन्धों के बारे में सहयोग करने और सहमत होने के लिए प्रोत्साहित करता है। साधारण तौर पर सभी सम्मिलित लोगों के लिए यह बहुत अच्छा रहता है - विशेषकर बच्चों के लिए माता-पिता आपस में व्यावहारिक प्रबन्ध पर सहमत हो सकें। माता-पिता फैमिली कोर्ट से केवल उसी अवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए कह सकेंगें जब माता-पिता बच्चों के संरक्षण के बारे में सहमत नहीं हो पाते और उस मतभेद को आपस में या कोर्ट द्वारा नियुक्त परामर्शदाता [की सहायता] से नहीं सुलझा पाते।

जिन माता-पिता ने बच्चों के संरक्षण के लिए अपने स्वयं के प्रबन्ध किए हैं, यदि चाहें तो वे "**parenting agreement**" (**मातृ-पितृत्व अनुबन्ध**) लिख सकते हैं जिसमें सहमत हुए विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। वे कोर्ट से अनुबन्ध पर आधारित "**Court order**" (**कोर्ट आदेश**) जारी करने के लिए कह सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए Parenting Agreements पुस्तिका को देखें।

माता-पिता के सहमत नहीं होने पर क्या होता है ?

यदि अपने बच्चों के लिए क्या उचित है, इस बारे में माता-पिता सहमत नहीं हो पाते तो वे फैमिली कोर्ट से सहायता की मांग कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा ऐसा साधारणतया **निःशुल्क काउंसलिंग** के प्रबन्ध से शुरू किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत एक प्रशिक्षित व्यवसायिक काउंसलर द्वारा उनके आपसी वाद-विवाद या भेद-भाव को सुलझाने में सहायता की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए **Counselling** (काउंसलिंग) नामक पुस्तिका को देखें।

माता-पिता के काउंसलिंग के दौरान सहमत न हो पाने पर क्या होता है ?

यदि काउंसलिंग से काम नहीं बनता, तो माता, पिता या दोनों ही फैमिली कोर्ट से पेरेन्टिंग आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। साधारण तौर पर कोर्ट द्वारा पहले "**mediation conference**" (मध्यस्थता सम्मेलन) का आयोजन किया जाएगा। इसके दौरान फैमिली कोर्ट के जज, या कभी-कभी व्यावसायिक मध्यस्थ द्वारा माता-पिता की समझौते पर पहुंचने में मदद की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए **The Mediation Conference (मध्यस्थता सम्मेलन)** नामक पुस्तिका को देखें।

कोर्ट सुनवाई (कोर्ट हियरिंग) - एक अन्तिम उपाय

यदि काउंसलिंग और मध्यस्थता में से कोई भी काम नहीं करता तो अन्तिम उपाय है औपचारिक कोर्ट सुनवाई। सुनवाई के अन्त में कोर्ट "**parenting order**" (पेरेन्टिंग आदेश) जारी कर सकता है। यह आदेश निम्नलिखित से सम्बन्धित हो सकता है -

- बच्चों की **नित्यप्रति** देखभाल कौन और कब करेगा, तथा
- यदि केवल माता या पिता में से एक ही नित्यप्रति देखभाल करेगा, तो उनमें से दूसरे को कब और कैसे बच्चों से **सम्पर्क** बनाने का अवसर दिया जाएगा।

कोर्ट द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है ?

कोर्ट द्वारा पेरेन्टिंग आर्डर जारी किया जाए या नहीं और उसमें क्या सम्मिलित किया जाए इस बारे में विचार करते और निर्णय लेते समय **बच्चे का कल्याण तथा उसकी भलाई** को ध्यान में रखना सबसे मुख्य और महत्त्वपूर्ण है।

कोर्ट द्वारा उस केस को निश्चित करने में मदद के लिए विशेषज्ञ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है - जैसे कि मनोवैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट या बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में रिपोर्ट। कोर्ट द्वारा "Child, Youth and Family Services" (बालक, युवा और पारिवारिक सेवाएं) के समाज सेवक या सोशल वर्कर से भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है।

माता-पिता कोर्ट से जिस विषय पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है, उस बारे में बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और लिए गए निर्णय से बच्चे पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में किसी और व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को सुनने के लिए कह सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए **Parenting Orders (मातृ-पितृत्व आदेश)** नामक पुस्तिका को देखें।

मातृ-पितृत्व (पेरेन्टिंग) आदेशों को कैसे व्यवहार में लाया जाए

यदि माता या पिता में से कोई एक पेरेन्टिंग आदेश का पालन नहीं करता, तो कोर्ट द्वारा सबसे पहले आम तौर से उसे **काउंसलिंग** के लिए जाने के लिए कहा जाएगा ताकि वे समस्या का समाधान आपस में ही करने की कोशिश कर सकें।

यदि इससे काम नहीं चलता, तो अन्तिम उपाय के रूप में कोर्ट ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश दे सकता है। उदाहरण के तौर पर वह माता या पिता के बच्चों के साथ विताने वाले समय को कम कर सकता है, या माता या पिता से कोर्ट को बॉन्ड (बंधन) के रूप में पैसा जमा कराने के लिए कह सकता है जिससे वे आदेश का लगातार उल्लंघन करने की स्थिति में वंचित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए **Breaches of Parenting Orders (मातृ-पितृत्व आदेशों के उल्लघंन)** नामक पुस्तिका को देखें।

बच्चों के संरक्षण के विभिन्न प्रबन्धों को मान्यता देना

आजकल, न्यूज़ीलैंड में बच्चों का पालन-पोषण विभिन्न प्रकार के पारिवारिक प्रबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बच्चों की देखभाल माता और पिता दोनों, उनके संयुक्त परिवार के सदस्यों या विस्तृत पारिवारिक समूह, या समलैंगिक साथियों के द्वारा की जाती है।

संयुक्त परिवार तथा विस्तृत पारिवारिक समूहों की भूमिका

इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया जाता है कि बच्चों के लिए उनके संयुक्त परिवार, जाति या अन्य पारिवारिक समूहों सहित विस्तृत परिवार के साथ सम्बन्धों को बनाए रखना और उन्हें मज़बूत करना जरूरी है।

यह संयुक्त परिवार के सदस्यों तथा अन्य विस्तृत परिवार समूहों को भी बच्चों के संरक्षण और पालन-पोषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

फैमिली कोर्ट की अनुमति से, संयुक्त परिवार के सदस्य तथा अन्य विस्तृत परिवार समूह कोर्ट से पेरेन्टिंग आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

माता-पिता एक नए साथी का अभिभावक के रूप में चुनाव कर सकते (नियुक्त कर सकते) हैं

यदि माता या पिता का कोई ऐसा नया साथी है जो कम से कम एक साल से बच्चों की देख-रेख में मदद कर रहा/रही है, तो वह माता या पिता अपने उस साथी को अपने बच्चों का कानूनी अभिभावक नियुक्त कर सकता/सकती है। साधारण तौर पर उनके लिए दूसरे माता या पिता की सहमति लेना जरूरी होगा।

फैमिली कोर्ट के अधिकारी (Family Court Registrar) के लिए सबसे पहले यह निश्चित करना जरूरी है कि नियुक्ति फार्म को सही तौर पर भरा गया है। उनके लिए इस बारे में संतुष्ट होना जरूरी है कि उपयुक्त जानकारी प्रदान की गई है, कागज़ी कार्यवाही को सही रूप से पूरा किया गया है, तथा ऐसी कोई बन्दिश नहीं है जिसके कारण नियुक्ति में प्रतिवन्ध किया जा सकता हो।

केवल एक नए साथी को ही इस प्रकार से अभिभावक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, फैमिली कोर्ट से अतिरिक्त व्यक्तियों को अभिभावकों के रूप में नियुक्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए **Parents Appointing New Partners as Guardians** (माता-पिता द्वारा नए साथी को अभिभावक के रूप में नियुक्त करना) नामक पुस्तिका को देखें।

फैमिली कोर्ट में अधिक खुलापन

भूमिका

इस अधिनियम में फैमिली कोर्ट में क्या कुछ होता है इस बारे में जनता को अधिक जानकारी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही, इसमें यह भी निश्चित किया गया है कि कोर्ट को एक ऐसे स्थान के रूप में माना जा सके जहां माता-पिता तथा अभिभावक संवेदनशील व्यक्तिगत मामलों पर खुले रूप से विचार-विमर्श कर सकें।

कोर्ट में सहायक लोगों को लाना

यदि माता-पिता काउंसलिंग या मध्यस्थता के लिए गए थे और सहायता के लिए अपने साथ किसी को लेकर गए थे - जैसे नया सहभागी, मित्र या परिवार का कोई सदस्य - तो इस अधिनियम के अन्तर्गत उस व्यक्ति को कोर्ट की सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का अधिकार है।

माता-पिता के लिए सहायक लोगों के रूप में न्यायाधीश द्वारा अन्य लोगों को भी कोर्ट की सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आज्ञा दी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए **Appearing in the Family Court** (फैमिली कोर्ट में उपस्थिति) नामक पुस्तिका को देखें।

समाचार पत्रकार कोर्ट की सुनवाइयों में उपस्थित हो सकते हैं

यह अधिनियम समाचार पत्रकारों को इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली फैमिली कोर्ट की सुनवाइयों में उपस्थित होने का अधिकार देता है।

परन्तु वे क्या प्रकाशित कर सकते हैं इस बारे में सख्त सीमाएं हैं। वे कोई नाम या ऐसी कोई जानकारी नहीं प्रकाशित कर सकते जिसके द्वारा बच्चों, माता-पिता या केस से सम्बन्धित अन्य लोगों - जैसे कि सहायक लोग तथा गवाहों की पहचान की जा सके।

जज द्वारा लोगों से कोर्ट के कमरे से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है

इसके साथ ही, जज (न्यायाधीश) को सुनवाई के दौरान पार्टियों और उनके वकीलों को छोड़ कर अन्य सभी लोगों को कोर्ट के कमरे से बाहर भेजने का अधिकार प्राप्त है।

निर्णयों का प्रकाशन

फैमिली कोर्ट के कुछ निर्णय कोर्ट की वेबसाईट (www.justice.govt.nz/family) पर भी प्रकाशित होते हैं, परन्तु नामों को हटा लिया जाता है ताकि शामिल व्यक्तियों की पहचान न की जा सके। फैसला किसी विशेष केस में जज के लिखित निर्णय को कहते हैं - इसमें जज के कारणों और कभी-कभी उस केस पर लागू होने वाले कानून के बारे में विवेचना को भी सम्मिलित किया जाता है।

*****

दुभाषिए

फैमिली कोर्ट के द्वारा काउंसलिंग, मध्यस्थता तथा कोर्ट की सुनवाई पर उपस्थित होने के लिए दुभाषिए का प्रबन्ध किया जा सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए फैमिली कोर्ट के अधिकारी (Family Court Coordinator) या स्थानीय फैमिली कोर्ट के आफिस के किसी अन्य सदस्य से सम्पर्क करें।

Legal aid (वकील की फीस के लिए दी जाने वाली सहायता)

कोई भी व्यक्ति जिसे वकील की जरूरत है परन्तु उसकी फीस देने में असमर्थ है उसे **वकील की फीस के लिए सहायता** मिल सकती है। इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा वकील की आंशिक या पूरी फीस अदा की जाती है (कभी-कभी आपको आंशिक या पूरी फीस वापिस देने के लिए कहा जा सकता है)।

आप वकील की फीस के लिए सहायता के बारे में निम्नलिखित के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं -

- अपने स्थानीय **लीगल सर्विसिज़ एजेंसी** के ऑफिस (**कानूनी सेवाओं के स्थानीय ऑफिस**) से सम्पर्क करने से (फोन पुस्तिका के आरंभ में सरकारी विभाग के नीले पृष्ठों को देखें)
- "Legal Services Agency" की वेबसाईट www.lsa.govt.nz पर जाकर, या
- वकील से मिलकर और उससे वकील की फीस के लिए सहायता के बारे में विचार-विमर्श करने से।

कानूनी सहायता विवाह-विच्छेद (तलाक) को छोड़ कर फैमिली कोर्ट के सभी केसों के लिए उपलब्ध है।

अतिरिक्त जानकारी या सलाह चाहिए ?

बाल संरक्षण अधिनियम **2004** (Care of Children Act 2004) के बारे में अधिक जानकारी या सलाह के लिए फैमिली कोर्ट की वेबसाईट (www.justice.govt.nz/family) को देखें या [अपने] पारिवारिक वकील (www.familylaw.org.nz) , सामुदायिक कानून केन्द्र/कम्युनिटी लॉ सैंटर या नज़दीक के फैमिली कोर्ट ऑफिस से सम्पर्क करें।

बच्चे सबसे प्रमुख (महत्त्वपूर्ण) हैं